राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 5855/2024

1. गणेश पुत्र राजेंग निनामा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी झूपेल, थाना सदर, जिला। बांसवाड़ा, राजस्थान। (वर्तमान में सेंट्रल जेल, उदयपुर में बंद)

2. लक्ष्मण पुत्र रकमा चरपोटा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी जम्बूड़ीपाड़ा झूपेल, पुलिस थाना सदर, जिला। बांसवाड़ा, राजस्थान। (वर्तमान में सेंट्रल जेल, उदयपुर में बंद)

3. गणेश पुत्र धन जी, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी जाम, बुडीपाड़ा झूपेल, पुलिस स्टेशन सदर, जिला। बांसवाड़ा, राजस्थान। (वर्तमान में सेंट्रल जेल, उदयपुर में बंद)

4. बंसु पुत्र रावजी चरपोटा, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी झूपेल, थाना सदर, जिला। बांसवाड़ा, राजस्थान। (वर्तमान में केन्द्रीय कारागार, उदयपुर में बंद)

---याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री भगत दाधीच।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित, पीपी

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश(मौखिक)</u>

<u>29/08/2024</u>

1. यहाँ चुनौती बांसवाड़ा के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा आपराधिक अपील संख्या 106/2018 (सीआईएस संख्या 106/2018) में दिनांक 13.03.2024 को दिए गए निर्णय को दी गई है। यद्यपि, विवादित निर्णय में बांसवाड़ा के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक शिकायत संख्या 71/2017, दिनांक 20.11.2018 में दी गई धारा 457 और 380 के तहत याचिकाकर्ताओं की दोषसिद्धि की पुष्टि की गई है, लेकिन 1,000 रुपये जुर्माने के साथ 2 वर्ष के साधारण कारावास और चूक की स्थिति में 15 दिन के कारावास की सजा को संशोधित किया गया है, तथा इसके बजाय उन्हें इस शर्त के साथ परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया गया है कि प्रत्येक याचिकाकर्ता को अभियोजन व्यय के रूप में 10,000 रुपये (कुल 40,000 रुपये) जमा करने होंगे और 20,000 रुपये के जमानत बांड प्रस्तुत करने होंगे। प्रत्येक को एक वर्ष तक अच्छे आचरण की शर्त के साथ 10,000/- का जुर्माना।

2. सर्वप्रथम प्रासंगिक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि। शिकायतकर्ता ललित सोनी ने आईपीसी की धारा 457 और 380 के तहत पुलिस स्टेशन कोतवाली में एफआईआर संख्या 331/2005 दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 14.02.2005 को शाम करीब 7 बजे वह अपनी दुकान बंद करके अपने गांव

नवगांव चला गया। अगली सुबह करीब 9:30 बजे उसने पाया कि किसी ने दुकान की पिछली दीवार तोड़ दी है और घड़ी, डीवीडी, सीडी और स्पीकर सहित कई सामान चुरा लिए हैं। जांच के बाद याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया।

3. 20.11.2018 को ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आईपीसी की धारा 457 के तहत दोषी करार देते हुए दो साल के साधारण कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 1,000/- का जुर्माना लगाया गया, भुगतान न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई। इसी तरह की सजा धारा 380 आईपीसी के तहत भी दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले के खिलाफ अपील की। अपीलीय न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को अभियोजन व्यय के रूप में 10,000/- रुपये जमा करने और एक वर्ष के लिए अच्छे आचरण की शर्त के साथ 10,000/- रुपये का जमानत बांड प्रस्तुत करने की शर्त पर परिवीक्षा पर रिहा करने का निर्देश दिया। दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए अपीलीय न्यायालय ने 13.03.2024 के आदेश द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई सजा को रद्द कर दिया और इस प्रकार पहले के आदेश को संशोधित किया।

4. हालांकि, गरीब होने के कारण, याचिकाकर्ताओं में से कोई भी 10,000/- रुपये का भुगतान नहीं कर पाया है या जमानत बांड का प्रबंधन नहीं कर पाया है। वे जेल में सड़ रहे हैं। इसलिए यह याचिका है।

5. सुनवाई।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता निर्दोष हैं तथा वास्तव में गरीब दिहाड़ी मजदूर/श्रमिक हैं। वे राजस्थान के नहीं हैं तथा काम की तलाश में अपने मूल राज्य से बाहर गए हैं। इस प्रकार वे अपीलीय

न्यायालय के दिनांक 13.03.2024 के आदेश का पालन करने में असमर्थ रहे हैं, जिसमें उन्हें 10,000/- रुपये प्रत्येक को न्यायालय व्यय के रूप में कुल 40,000/- रुपये का भुगतान करने तथा जमानत बांड प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। 6.1. याचिकाकर्ता अशिक्षित हैं तथा कानूनी प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ हैं, जिससे उनके लिए जमानत बांड की व्यवस्था करना तथा आवश्यक राशि जमा करना कठिन हो गया। परिणामस्वरूप, ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 05.08.2024 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा बाद में कारावास की सजा सुनाई गई।

7. विद्वान लोक अभियोजक याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का विरोध करते हैं तथा याचिका को खारिज करने की मांग करते हैं। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता दोषी हैं तथा उन्हें उनके लिए निर्धारित कारावास की सजा अवश्य भुगतनी चाहिए।

6. अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (संक्षेप में "अधिनियम") उचित मामलों में अपराधियों को जेल में डालने के बजाय उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान करके आदतन अपराधी बनने से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। आसान संदर्भ के लिए, अधिनियम की धारा 4 नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है:

"अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4

4. न्यायालय की कुछ अपराधियों को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने की शक्ति.-
(1) जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है और जिस न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को दोषी पाया जाता है, उसकी राय है कि मामले की परिस्थितियों, जिसमें

अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र शामिल है, को देखते हुए उसे अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करना समीचीन है, तो उस समय लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय उसे तुरंत कोई दण्ड देने के बजाय यह निर्देश दे सकता है कि उसे जमानतदारों सहित या उनके बिना बंधपत्र पर रिहा किया जाए, ताकि वह न्यायालय द्वारा निर्देशित तीन वर्ष से अधिक की अवधि के दौरान बुलाए जाने पर उपस्थित होकर दण्ड प्राप्त कर सके और इस बीच शांति बनाए रखे और अच्छा आचरण करे: परन्तु न्यायालय किसी अपराधी को तब तक रिहा करने का निर्देश नहीं देगा जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि अपराधी ने ऐसा किया है। या उसके जमानतदार, यदि कोई हो, का उस स्थान पर निश्चित निवास स्थान या नियमित व्यवसाय हो जिस पर न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है या जिसमें अपराधी उस अवधि के दौरान रहने की संभावना रखता है जिसके लिए वह बांड में प्रवेश करता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश देने से पूर्व न्यायालय मामले के संबंध में संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

(3) जब उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया जाता है, तो न्यायालय, यदि उसकी राय में अपराधी और जनता के हित में ऐसा करना समीचीन है, तो इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षण आदेश पारित कर सकेगा, जिसमें यह निर्देश दिया जाएगा कि अपराधी, आदेश में निर्दिष्ट अवधि के दौरान, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, उस अवधि के दौरान, उस आदेश में नामित परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में रहेगा, और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्तें लगा सकेगा, जो वह अपराधी के समुचित पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझे।

(4) उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश देने वाला न्यायालय अपराधी को रिहा किए जाने से पूर्व, जमानतदारों सहित या उनके बिना, ऐसे आदेश में

निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने के लिए बंधपत्र में प्रवेश करने की अपेक्षा करेगा तथा निवास, मादक द्रव्यों से परहेज या किसी अन्य मामले के संबंध में ऐसी अतिरिक्त शर्तें, जिन्हें न्यायालय विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपराधी द्वारा उसी अपराध की पुनरावृत्ति या अन्य अपराध किए जाने से रोकने के लिए अधिरोपित करना उचित समझे।

(5) उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश देने वाला न्यायालय अपराधी को आदेश की शर्तों और निबंधनों के बारे में समझाएगा तथा पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति प्रत्येक अपराधी, जमानतदारों, यदि कोई हो, तथा संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराएगा।

7. इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपराधियों को सीधे सजा सुनाने के बजाय परिवीक्षा पर रिहा करने से संबंधित प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और सिद्धांतों को न्यायालयों द्वारा सजा सुनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

8. इस संदर्भ में, इसी तरह की परिस्थितियों में मेरे द्वारा दिए गए एक निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जब मैं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश था, जिसका शीर्षक नासरी बनाम हरियाणा राज्य: सीआरएम-ए-38-एमए-2017 था, जो प्रासंगिक है, तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"इस प्रकार परिवीक्षा को दंड का एक वैकल्पिक रूप भी कहा जा सकता है, जिसकी परिकल्पना आपराधिक न्याय प्रणाली में की गई है। मेरी राय में, परिवीक्षा पर रिहाई के संभावित लाभों के रूप में वर्णित सिद्धांतों को न्यायिक विवेक के प्रयोग के लिए नीचे दिए गए विद्वान दंड न्यायालयों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए, बशर्ते कि एक योग्य मामला बनाया गया हो।

क) अपराध की प्रकृति: व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता और प्रकार महत्वपूर्ण विचार हैं। कम गंभीर अपराध, जैसे कि गैर-हिंसक अपराध या

हिंसक लेकिन आत्मरक्षा या पहली बार किए गए अपराध, किसी व्यक्ति को परिवीक्षा के लिए अधिक योग्य बना सकते हैं।

ख) व्यक्तिगत न्याय: परिवीक्षा पर रिहाई का लाभ देने से पहले, किसी को अपराधी की व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि अपराध की प्रकृति और सकारात्मक बदलाव की संभावना। यह अपराधी की विशिष्ट आवश्यकताओं और विशेषताओं पर विचार करने वाली अनुरूप सजा की अनुमति देता है, जो अपराध के लिए अधिक न्यायसंगत और आनुपातिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है।

ग) आपराधिक इतिहास: किसी अपराधी के पिछले आपराधिक इतिहास का मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उसके पास बार-बार अपराध करने का पैटर्न है। हिंसक या गंभीर अपराधों का इतिहास किसी व्यक्ति को परिवीक्षा दिए जाने की संभावना कम कर सकता है।

घ) पुनर्वास की संभावना: अपराधी की पुनर्वास की इच्छा और क्षमता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि इस बात का सबूत है कि व्यक्ति अपने व्यवहार को बदलने, परामर्श में भाग लेने और अपनी आपराधिक गतिविधि के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो उसे परिवीक्षा के लिए विचार किया जाना चाहिए।

ई) परिवीक्षा शर्तों का अनुपालन: परिवीक्षा पर दोषियों को विशिष्ट शर्तों का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि परिवीक्षा अधिकारी को नियमित रूप से रिपोर्ट करना, आपराधिक गतिविधि से बचना और परामर्श या पुनर्वास कार्यक्रमों में भाग लेना। इन शर्तों का पालन करने की व्यक्ति की इच्छा और क्षमता परिवीक्षा के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित करेगी।

च) पुनरावृत्ति को रोकना:- कारावास के विकल्प के रूप में परिवीक्षा, वास्तव में पहली बार अपराध करने वालों को आदतन या "कठोर" अपराधी बनने से रोकने में मदद कर सकती है। पुनर्वास और सहायता सेवाएँ प्रदान करके,

परिवीक्षा का उद्देश्य उन अंतर्निहित कारकों को संबोधित करना है जो आपराधिक व्यवहार में योगदान करते हैं, जिससे अपराधियों को अपने तरीके बदलने का मौका मिलता है।

छ) सामुदायिक संबंध: अपराधी के समुदाय से संबंधों का आकलन किया जाना चाहिए, जैसे कि परिवार, रोजगार और स्थिर आवास। मजबूत सामुदायिक संबंध एक समर्थन प्रणाली का संकेत दे सकते हैं जो आगे की आपराधिक गतिविधि को रोकने में मदद कर सकता है।

ज) सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम: समुदाय की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। यह निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रिहा करने से नए अपराध करने या दूसरों को नुकसान पहुँचाने का कम जोखिम है या नहीं।

i) भीड़भाड़ को कम करना: परिवीक्षा जेलों और कारागारों में भीड़भाड़ को कम करने में मदद कर सकती है। गैर-हिंसक अपराधी जो परिवीक्षा के लिए पात्र हैं, उन्हें सामुदायिक निगरानी में रखा जा सकता है, जिससे अधिक गंभीर अपराधियों के लिए सुधारात्मक सुविधाओं में जगह खाली हो जाती है।

j) उत्पादकता को बढ़ावा देना:- अपराधियों को समुदाय में रहने और काम, शिक्षा या सामुदायिक सेवा जैसी उत्पादक गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति देकर, परिवीक्षा उन्हें समाज के उत्पादक सदस्य बनाने में योगदान दे सकती है। यह बदले में, उन्हें राज्य पर बोझ बनने के बजाय करदाता के रूप में योगदान करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

k) दूसरा मौका और सुधार:- परिवीक्षा अपराधियों को कारावास से बचने और सुधार का अवसर प्रदान करके उन्हें दूसरा मौका देती है। परामर्श, उपचार और पर्यवेक्षण के माध्यम से, अपराधी अपने आपराधिक व्यवहार के मूल कारणों

को संबोधित कर सकते हैं और सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम कर सकते हैं।

l) समाज में पुनः एकीकरण: परिवीक्षा अपराधियों को अपने परिवारों, नौकरियों और समुदायों के साथ संबंध बनाए रखने की अनुमति देती है, जो उनकी सजा के बाद उनके सफल पुनः एकीकरण की संभावनाओं को बढ़ा सकती है। इससे पुनरावृत्ति की संभावना कम हो जाती है और आपराधिक व्यवहार के चक्र को तोड़ने में मदद मिलती है।

m) पीड़ित को मुआवजा: न्यायालय अपराधी को परिवीक्षा पर रिहाई की पूर्व शर्त के रूप में प्रतिशोध या प्रायश्चित के रूप में पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा (दंड के रूप में) देने के लिए भी कह सकता है।

n) परिवीक्षा अधिकारी मूल्यांकन: न्यायालय द्वारा परिवीक्षा अधिकारी से अपराधी का मूल्यांकन करने के लिए कहा जा सकता है ताकि उसकी पृष्ठभूमि, व्यवहार और पुनर्वास की संभावना के बारे में जानकारी एकत्र की जा सके। ऐसा मूल्यांकन परिवीक्षा के संबंध में एक सूचित निर्णय लेने में मदद करेगा।

o) न्यायिक विवेक: अंत में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यह निर्धारित करना न्यायालय का विवेक है कि परिवीक्षा दी जाए या नहीं। यह सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करेगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पुनर्वास, सार्वजनिक सुरक्षा और न्याय के हितों को संतुलित करेगा। परिवीक्षा का लक्ष्य कारावास के लिए एक विकल्प प्रदान करना है जो सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखते हुए अपराधी की व्यक्तिगत जरूरतों को संबोधित करता है।

9. उपरोक्त प्रावधान में परिकल्पित आपराधिक कानून के उद्देश्य और सिद्धांत, समाज के विरुद्ध अपराध करने से रोकने के अलावा, अन्य बातों के साथ-साथ अपराधियों के सुधार पर केंद्रित हैं, जिसमें परिवीक्षा की अवधारणा निहित है।

आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली अक्सर दंड को पुनर्वास के साथ संतुलित करने का लक्ष्य रखती है, जो अपराध करने वाले व्यक्तियों में सकारात्मक परिवर्तन की क्षमता पर जोर देती है। आपराधिक कानून का लक्ष्य केवल दंड से आगे तक फैला हुआ है। जबकि दंड व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने और उन्हें रोकने का काम करता है, वहीं आपराधिक व्यवहार में योगदान देने वाले अंतर्निहित कारकों को संबोधित करने के महत्व की बढ़ती मान्यता है। यह दृष्टिकोण अपराधियों के सुधार और कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में समाज में फिर से एकीकृत होने की क्षमता पर जोर देता है। परिवीक्षा इस सुधार उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्रों में से एक है।

10. कुछ मामलों में, कुछ अपराधियों को कैद किए जाने के बजाय सामुदायिक निगरानी में रहने के लिए कहा जा सकता है। ऐसी परिवीक्षा अवधि के दौरान, अपराधी को कुछ शर्तों का पालन करना पड़ सकता है, जैसे कि परिवीक्षा अधिकारी को नियमित रूप से रिपोर्ट करना, परामर्श या उपचार कार्यक्रमों में भाग लेना और रोजगार या शिक्षा बनाए रखना। इसका उद्देश्य अपराधी को सहायता, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करना और उसके आपराधिक व्यवहार के मूल कारणों को संबोधित करना और सकारात्मक जीवन कौशल विकसित करना है। परिवीक्षा के दौरान प्रदान की गई कड़ी निगरानी और मार्गदर्शन अपराधी को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करने और दोबारा अपराध करने की संभावना को कम करने में मदद कर सकता है।

11. कुल मिलाकर, सुधार पर ध्यान केंद्रित करने और कारावास के विकल्प जैसे कि परिवीक्षा पर रिहाई का उपयोग करने की अवधारणा आपराधिक न्याय के अधिक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती है जो सकारात्मक बदलाव और व्यक्ति और समाज दोनों की समग्र बेहतरी की संभावना को ध्यान में रखती है।

12. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, तत्काल याचिका की अनुमति दी गई। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता अत्यंत गरीबी से ग्रस्त हैं, अपीलीय आदेश दिनांक 13.03.2024 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि प्रत्येक याचिकाकर्ता द्वारा 10,000/- रुपए अभियोजन व्यय जमा कराने की पूर्व शर्त (कुल 40,000/- रुपए) को अलग रखा जाता है। याचिकाकर्ताओं को 10,000/- रुपए की राशि जमा कराने के लिए आग्रह किए बिना जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, उदयपुर की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

13. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाएगा।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।